न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 78 / 2024

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लाधुदेवी पत्नि पन्नाराम जाति जाट निवासी करडाली नाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. नोजीदेवी पत्नि नगाराम 2. प्रतापाराम पुत्र कानाराम 3. रावताराम पुत्र कानाराम 4. मुकेश पुत्र मूराराम 5. रामाराम पुत्र मूराराम जाति जाट निवासी करडाली नाडी 6. मेघाराम पुत्र खेताराम 7. मालाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी करडाली नाडी 8. शेरसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी करडाली नाडी तहसील सिणधरी 9. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:42 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 21.12.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातदारी का खेत मौजा करडाली नाडी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 196 रकबा 4.7650 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतो के सेडा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सेढ आई हुई है। खेतों के बीच वर्तमान में किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा मौजा करडाली नाडी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 196 रकबा 4.7650 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा करडाली नाडी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 196 रकबा 4.7650 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा मौजा करडाली नाडी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 196 रकबा 4.7650 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा करडाली नाडी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 196 रकबा 4.7650 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी [illegible] लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीनी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस [illegible] के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार करने में उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

5. लिहाजा, प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा करडाली नाडी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 196 रकबा 4.7650 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है.उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगी। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:42 IST
Reason: SelfAttested